an>

Title: Need to accord priority for use of Hindi language in Parliamentary proceedings.

श्रीमती रंजीत रंजन : महोदया, मैं आपके माध्यम से बाल श्रम के ऊपर बोलना चाहूँगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बाल अधिकार को लेकर वर्ष 1980 से आज तक बहुत कानून बने। दो महत्वपूर्ण कानून, बाल श्रम (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम, 1986 और शिक्षा का अधिकार, 2009 संसद ने बनाये हैं। इन दोनों कानूनों में अंतर्विरोध है। वर्ष 1986 का कानून अधकचरा होने के साथ लचर भी है। एक तरफ हम शिक्षा का अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ उसी कानून में कहा जाता है कि 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे खतरनाक काम नहीं करेंगे, लेकिन काम कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कानून को अमेंडमेंट के लिए जल्द से जल्द लाया जाए।

कैलाश सत्यार्थी जी पिछली बार भी 400 एमपीज से मिले, इस बार भी तकरीबन 50 सांसदों से वे मिल चुके हैं। कैलाश सत्यार्थी जी के साथ मैं इस बात को पर्सू भी करती हूँ कि हम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि बाल श्रम के कानून में जल्द से जल्द अमेंडमेंट करके, यह जो तर्क है, उसे हटाया जाए। चाहे खतरनाक काम हो या कोई भी काम हो, पूरी तरह से बाल श्रम को खत्म किया जाए।